मेहनतकशों का पैग़ाम | मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

वर्ष 27 | अंक 15 | फरीदाबाद, सोमवार, 16-30 जून 2014 | फोन : - 9999595632 | ₹ 2

अफ़सरान मेहरबान तो एएसआई पहलवान संगठन को चुस्त दुरूस्त करेगी 'आप'	3
स्त्री सशक्तीकरण का राजनीतिक एजेंडा-2 घड़ियाली आंसू : छिपाने की भी जरूरत नहीं!	4
इनकी लीला अपरम्पार इतिहास का जनपक्ष और शासकों की बौखलाहट	6
अपनी हार के कारण 'खोजती' कांग्रेस हज़ारों करोड़ खर्चने के बावजूद जल संकट बरकरार रहेगा	8

विशेष जांच दल काले धन का हल नहीं

मोदी सरकार का भी निकला मुंह काला

सर्वोच्च न्यायालय की लटकती तलवार के साये में मोदी सरकार को जर्मनी के एक बैंक से काला धन लाने के लिए विशेष दल बनाना पड़ा। हालांकि भाजपाई और रामदेव इसे काले धन के विरुद्ध एक बड़ी शुरुआत बता रहे हैं, पर रोजाना देश में ही पैदा हो रहे एवं खप रहे हजारों करोड़ के काले धन के विरुद्ध मोदी सरकार ने भी पूरी चुप्पी साध रखी है। यानी सोनिया सरकार की तरह उसका मुंह भी काला ही है।

मज़दूर मोर्चा, दिल्ली ब्यूरो

देश में काले धन को लेकर शायद ही कोई पर्दादारी हो। सत्ता के गलियारे में सक्रिय हर राजनेता, हर कार्पोरेट, हर नौकरशाह, हर मीडिया और हर बिचौलिया भारतीय अर्थव्यवस्था में काले धन की साख एवं भूमिका से परिचित है। दरअसल यह कहना ज़्यादा ठीक होगा कि रजनीतिक पार्टियों, कार्पोरेटो, मीडिया घरानों, नौकरशाही इत्यादि के विकास का मॉडल और उनकी सारी ऐयाशियां काले धन पर ही टिकी हुई हैं।

दूसरी तरफ़ काला धन देश के आम आदमी पर महंगाईऔर भ्रष्टाचार की गहरी मार लगाता आया है। महंगाई के लिये मुद्रास्फीति को ज़िम्मेदार ठहराने वाले और भ्रष्टाचार के लिए साधारण सरकारी कर्मचारियों को दोष देने वाले प्राय: काले धन का जिक्र इन संदर्भों में करना भूल जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि काला धन, मेहनत की कमाई करने वाले 125 करोड़ भारतीयों की क्रय क्षमता को लगातार घटा कर उनके सामने महंगाई के भस्मासुर को खड़ा रखता है।

इसी तरह भ्रष्टाचार का साम्राज्य जनविरोधी नीतियों को संचालित करता है। संसाधनों को हड़पना हो, मुनाफे पर एकाधिकार कायम करना हो, अपने कार्पोरेट पिट्ठू को मंत्री, सीएम या पीएम बनवाना हो तो यही काला धन बड़े काम का सिद्ध होता है। जाहिर है भ्रष्टाचार के इस बड़े खेल की कीमत आमजन को ही चुकानी पड़ती है।

मजबूरी में मोदी ने विशेष जांच दल तो बना दिया पर इससे उनकी सरकार की काली नीयत भी सामने आ गयी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश जर्मनी के केवल एक बैंक में 1826 भारतीयों के काले धन खातों की जांच को लेकर हैं। सवाल है कि स्विस बैंकों और दुनिया के तमाम अन्य टैक्स-स्वर्गों में जमा हिन्दुस्तानियों के काले धन को भी क्या यह जांच दल अपने दायरे में ले पायेगा? जांच दल का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त दो न्यायाधीशो को बनाया गया है। ऐसे जांच दलों, जिनका नेतृत्व अवकाश प्राप्त न्यायाशीया करते हैं, का ट्रैक रिकार्ड बताता है कि इनकी रपटें दसियों साल में आती हैं, और शायद ही कभी उनपर अमल हुआ हो।

मोदी सरकार की नीयत यदि वास्तव में काला धन के विरुद्ध जंग छेड़ने की होती तो उन्हें देश के भीतर काले धन की खुले में प्रचलित प्रणालियों को समाप्त करने की दिशा में पहले दिन से ही जुट जाना चाहिए था। इस ओर कोई कदम उठाना तो दूर मोदी ने एक ट्वीट भी नहीं की है। कौन नहीं जानता कि सीधा विदेशी निवेश के नाम पर आने वाले डालर का बहुत बड़ा भाग भारत से ही हवाला मार्ग से बाहर भेजा गया काला धन होता है। इसके विरुद्ध कार्यवाही करना तो दूर मोदी सरकार के तमाम मंत्री सीधे विदेशी निवेश को नये-नये रास्तों से देश में लाने की जुगत में लग गये हैं। यहां तक कि आरएसएस की तरफ से बयान आ गया है कि उन्हें ऐसे निवेश पर कोई आपत्ति नहीं है। यानि कि काले धन को सफेद करने की इस सरकारी मुहिम में सभी काणे हो चुके हैं - राष्ट्रवाद गया तेल लेने।

कौन नहीं जानता कि देश के भीतर काले धन को संचय करने के सबसे बड़े ठिकाने रियल एस्टेट और स्वर्ण धातु है। यह खुला कारोबार जब चाहे सरकार बंद कर सकती है। पर हो क्या रहा है? काले धन की सुविधा हेतु मोदी सरकार ने स्वर्ण आयात पर से प्रतिबंध हटा लिये। इसी तरह 100 नये शहरों के निर्माण का झांसा देकर बैंकों का मुंह रियल एस्टेट को गर्म करने के लिए खोलने की तैयारी के संकेत दे दिये गये हैं।

मोदी सरकार का खेल स्पष्ट है। विशेष जांच दल की आड़ में काला धन के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल कर रखो। मोदी ने अपना मुंह तो काला कर लिया, दिलचस्प बात यह है कि काले धन पर सोनिया - मनमोहन सरकार को पानी पी-पीकर कोसने वाले रामदेव को भी मोदी की कालिमा नज़र नहीं आ रही।

भाजपा ने खाई अपनी ही रिपोर्ट

विदेश में पड़े भारत के विशाल काले धन को लेकर भाजपा ने एक तीन सदस्यीय कमेटी का 2008 में गठन किया था जिसमें पार्टी के मुख्य आर्थिक सलाहकार गुरुमूर्ति के अलावा भाजपा के पिछलग्गू पूर्व आई.बी. चीफ़ अजीत डोवल तथा पार्टी के एक अन्य पिछलग्गू आई.आई.एम. बंगलूरु के प्रोफेसर वैद्यनाथन शामिल थे। कमेटी ने बाद में पार्टी के हर चोर की वकालत करने वाले वकील राम जेठमलानी के लड़के महेश जेठमलानी को भी शामिल कर लिया। इस कमेटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सन् 2011 में भाजपा को पेश कर दी थी। इन सिफारिशों को लेकर भाजपा ने लगातार काले धन के सवाल पर सोनिया - मनमोहन सरकार को घेरने की कोशिश की थी। अब जब उनकी अपनी सरकार बन गयी है तो इन सिफारिशों पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए थी। विशेषकर तब जबकि कमेटी के एक सदस्य अजीत डोवल को मोदी ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकर नियुक्त कर दिया हो। रिपोर्ट में काले धन को द्रेशद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया गया है। फिर, मोदी सरकार क्यों सो रही है?

ख़बर दार

मोदी को कद्दावर दिखाने में लपेटे गये बेगुनाह

अक्षरधाम आंतकी हमला: सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी व गुजरात पुलिस को दोषी पाया

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

24 सितम्बर 2002 के गांधी नगर (गुजरात) स्थित अक्षरधाम मंदिर परिसर में हुए आंतकी हमले में 30 व्यक्ति मारे गये थे व 80 घायल हुए थे। दो पाकिस्तानी आंतकियों हाफि ज यासीन और मोहम्मद फ ारूख ने स्वचालित हथियारों और हथगोलों से लैस होकर शाम पौने पांच बजे परिसर पर हमला बोला था। पुलिस व एनएसजी कमांडों द्वारा घेरे जाने पर दोनों हमलावर सारी रात मुकाबला करते रहे और अगले दिन सुबह पौने सात बजे उन्हें मार गिराया गया।

इस सिलसिले में अहमदाबाद पुलिस ने 6 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया व इन पर उक्त हमलावरों को मदद देने व षडयंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया गया। उस समय के गुजरात के सी.एम. नरेन्द्र मोदी ने बतौर गृहमंत्री इन सभी का 'पोटा' कानून के अंतर्गत चालान करने की स्वीकृति प्रदान की। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे आंख मूंद कर दी गयी स्वीकृति बताया जो बिना अपना दिमाग लगाये गृह मन्त्री मोदी ने पुलिस को पकड़ा दी थी।

मई 2014 में सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने उपरोक्त सभी 6 अभियुक्तों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उन्हें गुजरात पुलिस ने फंसाया है। निर्णय में इस बात पर सवाल खड़ा किया गया कि तफ्तीश में एक साल तक कोई प्रगति नहीं हुई, और अचानक 28 मार्च 2003 को इसे क्राईम ब्रांच के हवाले किया गया। जिसने एक दिन में पूरा केस सुलझा

दिया। फाईल के मुताबिक डीआईजी बन्जारा ने शाम को साढे छह बजे एसीपी सिंगल को एक 'सर्वज्ञाता' गवाह अशफाक भावनगरी के बारे में बताया। सिंगल ने उसी शाम अशफाक को शामिल तफतीश किया। दूसरे दिन दो बजे दिन तक सभी छह अभियुक्त गिरफ्तार कर लिये गये। कमाल यह है कि प्रत्येक अभियुक्त का 15-15 पेज का बयान स्वीकारोक्ति मैजिस्ट्रेट ने आधे घंटे में ही दर्ज कर लिया। यहां तक कि यह बयान भी आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाते और अभियोजन की कहानी के लिए घातक सिद्ध हुए।

सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात पुलिस को लताड़ते हुए कहा कि बजाय वास्तविक दोषियों को पकड़ने के बेकसूरों को झूठा फंसाया गया। ध्यान रहे कि ये बन्जारा और सिंगल वहीं पुलिस अफसर हैं जो मोदी के शासनकाल तें हुई आधा दर्जन झूठी मुठभेड़ों के लिए जिम्मेदार है। अभियुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय ने बरी तो कर दिया लेकिन जो 11 वर्ष उन्होंने जेलों में बिताये उनकी भरपाई कौन करेगा? क्या तत्कालीन गृहमंत्री और आज के पीएम मोदी के पास इसका कोई जवाब है? जानकारों का मानना है कि सितम्बर 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर आंतकी हमले के संदर्भ में मोदी को एक कद्दावर राजनेता की छवि की सख्त जरूरत थी।

शेष पेज दो पर

सड़क मार्ग बने गुंडे: शिकार हुए मुंडे

सड़क दुर्घटनाओं में उस दिन मुंडे के अलावा 399 और भी मरे थे

नई दिल्ली (म.मो) शहर के अति सुरक्षित लुटियन ज़ोन में केन्द्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत सड़क दुर्घटना में हो गयी। दिनांक 3 मई को प्रात: 6.30 बजे जब वे हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे तो पृथ्वीराज तुगलक रोड वाले अरविंदों चौराहे पर इनकी कार से एक टैक्सी टकरा गयी। टैक्सी ड्राईवर अरविंदर सिंह का कहना है कि मुंडे की कार ने लाल बत्ती लांघी थी जबकि मुंडे का ड्राईवर यही आरोप टैक्सी वाले पर ही लगा रहा है। टैक्सी ड्राईवर ने टक्कर से बचने के लिए ज़ोरदार ब्रेक मारे। इससे उसकी टैक्सी ने करीब 30-35 फीट तक स्किड किया। जिसके निशान सड़क पर पाये गये। टक्कर के तुरन्त बाद अरविन्दर ने ही पुलिस को फोन करके बुलाया भी।

इतना सब होने के बावजूद पुलिस एवं प्रशासन में बैठी भेड़चाल की जमात टैक्सी ड्राईवर को किसी भी तरह मुंडे की हत्या की साजिश में घेरती नज़र आई। पुलिस ने अदालत में पूरा ज़ोर लगाया कि उसकी जमानत न हो। इन चापलूसों से कोई यह पूछने वाला नहीं कि उस ग़रीब टैक्सी ड्राईवर को बिना वजह जेल में सड़ाने से क्या हासिल होगा।

इतना ही नहीं ड्रामेबाजी की हद तक बयानबाजी करते हुए उच्चाधिकारी कहते हैं कि इस हादसे की जांच खुफ़िया ब्यूरो (आई.बी.) व स्पेशल सैल से करवाई जायेगी। उद्धव ठाकरे जैसे ड्रामेबाज ने तो

ओ भाई ज़रा देख के

सीबीआई जांच की मांग करके अपनी समझदारी के असल स्तर का परिचय दे दिया। साधारण सी सड़क दुर्घटनाओं की जांच भी यदि उक्त विशेष जांच एजेंसियां करने लगेंगी तो फ़िर चल लिया देश का कामकाज।

संदर्भवश एक सवाल यह भी पैदा होता है कि दुर्घटना वाले दिन यानी 3 जून को मुंडे के अलावा देश भर में 399 लोग और भी सड़क दुर्घटनाओं में मारे गये थे। साल भर में यह आंकड़ा सवा लाख से डेढ़ लाख तक पहुंचना एक आम बात है। इतने बड़े पैमाने पर होने वाली इन मौतों की शासक वर्ग को कतई कोई चिंता नहीं, चिन्ता और विलाप तो इन्हें केवल और केवल तभी होता है जब इनके अपने वर्ग का कोई मरता है।

शेष पेज दो पर